न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 151 / 2016

राजाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी हिन्दोर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

--अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

-- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, दिनांक 14.08.2007

उपस्थितिः-

श्री भागीरथ बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :- 14.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रोजी उदयपुर गोदारानके ख.न. 13 / 1, 13 / 2 व 11 की 25 बीघा भूमि के आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 14.08.2007 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होने पर अपीलांट को उक्त भूमि में से 22.11 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया गया शेष भूमि आवंटन नहीं किये जाने को अपीलांट ने चुनौती दी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पास 25 बीघा आरजी काश्त पर आवंटित थी एवं उसी पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं आरजी काश्त से पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र पेश किया था किन्तु अधी.न्यायालय ने 22.11 बीघा भूमि का ही आवंटन किया शेष भूमि का आवंटन इस आधार पर नहीं किया कि अपीलांट का नोशनल शेयर 6.10 बीघा बनता है जबकि अपीलांट का

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इतना हिस्सा नहीं बनता हैं अधी.न्यायालय ने गणना गलत की है । अपीलांट 25 बीघा भूमि के आवंटन कराने का पात्रता रखता है अतः शेष 2.09 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की जावें । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया हैं अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरडी 1993 पेज 343, आरआरडी 1998 पेज 140, 233 की नजीरे पेश की ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट जितनी भूमि के आवंटन की पात्रता रखता था उतनी आवंटन कर दी है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.08.2007 के विरूद्ध दिनांक 01.07.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 14.08.2007 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट द्वारा धारित कृषि भूमि में Notional Share 6.10 बीघा मानकर अपीलांट की 2.09 बीघा भूमि अधिशेष मानकर टीसी खारिज की तथा पुख्ता आवंटन नहीं किया। अपीलांट के कथनानुसार उसे प्राप्त Notional Share में दो पुत्रों व एक पुत्री एवं स्वयं की गणना की जानी चाहिए जो नहीं करने से अधी.न्यायालय का निर्णय खारिज करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के पास अस्थाई काश्त की 25 बीघा भूमि थी तथा पुख्ता आवंटन 22.11 बीघा भूमि का आवंटन इस आधार पर किया कि अपीलांट के पिता के नाम धारित 33 बीघा भूमि

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में अपीलांट का Notional Share 6.10 बीघा होने से पात्रता गणना में यह Notional Share की भूमि कम करके आवंटन किया है। परन्तु अपीलांट का यह निवेदन है कि अपीलांट के 6.10 बीघा Notional Share में पुत्रों का भी हक होने से, उसके दो पुत्र एक पुत्री एवं स्वयं को शामिल करते हुए Notional Share 1.12 बीघा अपीलांट के पुख्ता आवंटन के Purpose से पात्रता गणना का आधार होनी चाहिए जो अधी.न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया का अनुतोष चाहा। अपीलांट के इस कथन का विवेचन अधी. न्यायालय की पत्रावली में नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ रिमांड की जाती है कि अपीलांट को Notional Share के सम्बन्ध में पुनः विवेचन करें तथा गणना में पात्रता होने पर नियमों की परिधि में सरपल्स घोषित 2.09 बीघा के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर